न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **रतन कुमार,** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 076/2021 (रा.अ.)
पंजीयन दिनांक 18.08.2021
G.C.M.S. NO. :- 2021/76

1–रतनलाल पिता छोगाजी गाडरी आयु वयस्क, निवासी उसरोल, तहसील भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2–भैरूलाल पिता छोगाजी गाडरी आयु वयस्क, निवासी उसरोल, तहसील भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–अपीलार्थीगण

बनाम

तहसीलदार भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार भूपालसागर प्रकरण संख्या 54/2021 नाजायज कब्जा निर्णय दिनांक 27.07.2021

उपस्थितिः– 1– श्री चम्पालाल जाट, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2– श्री भैरूलाल सालवी, राजकीय अभिभाषक

प्र. सं. 076/2021 (रा. अ.)
रतनलाल पिता छोगाजी गाडरी निवासी उसरोल वगैरा बनाम तहसीलदार भूपालसागर

निर्णय

दिनांक 20.10.2021

अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण ने अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पटवार हल्का उसरोल ने ग्राम उसरोल की

आराजी नम्बर 1481 रकबा 0.05 है. बिलानाम रास्ते पर अपीलार्थीगण द्वारा नाजायज कब्जा कर डोल लगाकर रास्ता बन्द करने की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौजा उसरोल की आराजी नम्बर 1481 रकबा 0.05 हैक्टेयर पर अपीलार्थी का अतिक्रमण मानते हुए दिनांक 27.07.2021 को पश्चातवर्ती अतिक्रमी घोषित कर दो माह के सिविल कारावास एवं पेनल्टी लगान 1/–रू. का 50 गुणा यानि 50/–रूपये शास्ति एवं बेदखल किये जाने का निर्णय एवं आदेश पारित किया जो अपने आप में अवैधानिक होकर निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को सूचना पत्र जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से पत्रावली तलब की गई। तहसीलदार भूपालसागर से पत्रावली प्राप्त होने एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित होने पर बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

अपीलार्थीगण के अधिवक्ता का मुख्य कथन यह रहा कि तहसील भूपालसागर के पटवार हल्का उसरोल की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम उसरोल की सिवायचक रास्ता आराजी नम्बर 1481 रकबा 0.05 हैक्टेयर पर अपीलार्थीगण का पश्चात्वर्ती अतिक्रमण मानते हुए अपीलार्थी को राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी कर दिनांक 27.07.2021 को दो माह के सिविल कारावास, लगान का 50 गुणा शास्ति एवं बेदखली के आदेश पारित किये जो निरस्त योग्य है। अपीलर्थीगण को जो नोटिस जारी किया गया मात्र इस कृषि वर्ष में ही आ. नं. 1481 के 160 वर्गमीटर भूमि पर अतिचार हेतु जारी किया गया

है। अपीलार्थीगण द्वारा पूर्व में अतिचार किया हो ऐसा कोई सूचना पत्र या आदेश का सूचना पत्र में कहीं उल्लेख नहीं है फिर भी पूर्व के कब्जे बाबत रेकार्ड को पत्रावली में प्रस्तुत किए बगैर मनमानी से अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण को सजा दी है जो पूर्णतया अवैध है पूर्व में अतिचार बाबत कोई निर्णय पत्रावली मे प्रस्तुत नहीं किया है। अपीलांट की खातेदारी की आ. नं. 1467 है जिसके गत भू–माप में आराजी नम्बर 822 है पर कोई रास्ता नहीं है आ. नं. 823 अपीलांट की आ. नं. 822 से लगी होकर इस पर कोई रास्ता नहीं है। सेटलमेंट वालों ने आ. नं. 823 मी से नवीन रास्ता बनना दर्शाया जो पूर्णतया अवैध है। आ. नं. 822 से लगी आ. नं. 655 पर भी कोई रास्ता नही है आ. नं. 655 से ही आ. नं. 1482 बनी है। अतः आ. नं. 1482 एवं 1467 के बीचों–बीच जो यह रास्ता सेटलमेंट वालों ने नया कायम किया है एवं आ. नं. 823 मी. से रास्ता बनना दर्शाया है जो पूर्णतया अवैध है, यहां कोई रास्ता अस्तित्व में ही नहीं था। अपीलार्थीगण अपनी पैतृक भूमि पर ही काबिज है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त करने का आदेश प्रदान करावें।

राजकीय अभिभाषक का मुख्य कथन यह रहा कि प्रश्नगत भूमि बिलानाम रास्ते की भूमि है जिस पर अपीलार्थीगण द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण कर कब्जा कर रखा है जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत भूमि से बेदखली, शास्ति आरोपित करने एवं दो माह का सिविल कारावास दिये जाने का पारित आदेश विधि सम्मत् है।

हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अपीलार्थीगण ने सेटलमेंट की गलती से आराजी नम्बर 1482 एवं आराजी नम्बर 1467 के बीचों–बीच नया रास्ता कायम करना एवं आराजी नम्बर 823 मी. से रास्ता बनना बताया है यहां हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि प्रश्नगत प्रकरण न्यायालय तहसीलदार, भूपालसागर द्वारा अन्तर्गत धारा 91, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पारित आदेश के विरूद्ध धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत अपील है जो कि एक संक्षिप्त

कार्यवाही (Summary Proceedings) है एवं अपीलार्थीगण के उक्त कथन का इस प्रकरण से कोई लेना–देना नहीं है इस संबंध में अपीलार्थीगण सक्षम न्यायालय में चाराजोई कर दाद प्राप्त कर सकते हैं।

अपीलार्थीगण ने मौजा उसरोल की आराजी नम्बर 1481 रकबा 0.05 है. में से 160 वर्गमीटर किस्म सिवायचक रास्ता भूमि पर मात्र पश्चात्वर्ती अतिक्रमण के संबंध में आपत्ति प्रकट की है इस कृषि वर्ष में अतिक्रमण के संबंध में आपत्ति प्रकट नहीं की है लिहाजा इस वर्ष आराजी नम्बर 1481 रकबा 0.05 है. में से 160 वर्गमीटर भूमि पर अपीलार्थीगण के अतिक्रमण के तथ्य को पृथक् से साबित करने की आवश्यकता नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध पटवार हल्का उसरोल की रिपोर्ट का अवलोकन करने पर स्पष्ट है कि रिपोर्ट में अपीलार्थीगण के मात्र सम्वत् 2078 में ही उक्त आराजीयात पर अतिक्रमण होने संबंधी कथन किया है पश्चात्वर्ती अतिक्रमण के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है तथा न ही ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध है जिससे अपीलार्थीगण के आराजी नम्बर 1481 रकबा 0.05 में से 160 वर्गमीटर पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमण होने संबंधी कथन की पुष्टि होती हो।

निष्कर्षतः अपील अपीलार्थीगण आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.07.2021 में आंशिक संशोधन करते हुए दो माह के सिविल कारावास की सजा को उन्मोचित (Quashed) करते हुए शेष निर्णय यथावत रखा जाता है।

''निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।''

(रतन कुमार)